अनुदान संख्या 54 – दिल्ली को अंतरण
GRANT No. 54 - TRANSFERS TO DELHI

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	966,00,00	1115,99,00	1112,49,00	-3,50,00
पूरक	Supplementary	149,99,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,50,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		150,00,00	..	-150,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				150,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	96600.00			
पू.	S.	14999.00	111249.00	111249.00	..
पु.	R.	-350.00			

1. ₹1000.00 लाख का प्रावधान "विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम" के अंतर्गत एक मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Other Social Security and Welfare Programmes" - due to non-receipt of utilisation certificate from the Government of National Capital Territory of Delhi and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹650.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹14999.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹650.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹14999.00 lakhs in February, 2021 under - "Other Transfer/ Grants to Union Territory Governments with Legislature - Special Assistance - Central Assistance to Union Territories".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "7602"	Major Head "7602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	Loans and Advances to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	15000.00	..	..	..
पु.	R.	-15000.00			

(I) ₹15000.00 लाख का प्रावधान "संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) को अन्य ऋण स्कीम – विशेष सहायता – जेआईसीए की मदद से बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना" के अंतर्गत एक मामले में चन्द्रवाल कमांड क्षेत्र में दिल्ली जल आपूर्ति सुधार परियोजना के लिए उपयुक्त एजेंसी की उपलब्धता न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹15000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under - "Other Loans to Union Territory (with Legislature) Schemes - Special Assistance - JICA assisted Externally Aided Project" - due to non-availability of a suitable agency for Delhi Water Supply Improvement Project in Chandrawal Command Area.